



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1013

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19422 वर्ष 2025

मोहन सिंह और 7 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 8 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता	:	देवीप्रसाद, जनार्दन यादव
प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री जनार्दन यादव और राज्य के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना।
2. याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि वे संबंधित तिथियों पर भारतीय सेना में सैनिक के रूप में भर्ती हुए थे और उत्तर प्रदेश शासन के अधीन पुलिस सेवाओं में उनकी नियुक्ति के परिणामस्वरूप, वे भारतीय सेना में याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई पिछली सेवाओं को जोड़कर वेतन के पुनर्निर्धारण के हकदार हैं। इस संबंध में हंस नाथ द्विवेदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 32139 वर्ष 2007, निर्णीत दिनांक 21.10.2010 और रिट याचिका संख्या 12064 वर्ष 2021, विमल कुमार सिंह और 12 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य, निर्णीत दिनांक 01.11.2021 के निर्णयों पर भरोसा किया गया है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि रिट याचिकाकर्ताओं के दावे का निस्तारण सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा किया जाना चाहिए।
4. न्यायालय में इस प्रकार प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण किया गया, याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रस्तुत करे, जो उक्त प्रस्ताव पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार हेतु अग्रसर होगा।

6 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।